होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन की मांग

रेस्टोरेंट पर लगने वाले जीएसटी में एकरूपता रखें

भास्कर संवाददाता | मुंबई. होटल व्यवसायियों ने सरकार से होटलों के भीतर संचालित रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी संरचना में संशोधन की अपील की है। वे भोजन और पेय सेवाओं पर जीएसटी दरों को होटल के कमरों से अलग करने की मांग कर रहे हैं। होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) एचआरएडब्ल्यूआई ने होटलों के भीतर रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों के लिए मौजूदा जीएसटी प्रारूप पर चिंता जताई। एचआरएडब्ल्यूआई के अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी ने बताया कि आज के डाइनिंग परिदृश्य में होटल के रेस्टोरेंट में भी ग्राहक अक्सर खाना खाने जाते हैं। लेकिन होटल के भीतर रेस्टोरेंट के लिए जीएसटी दरें कमरे की दरों से जुड़ी होती हैं। जहां कमरे की दरें 7500 रुपए से अधिक हो जाती है, वहां होटल्स के भीतर के रेस्टोरेंट का जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो जाता है। जिससे ग्राहको के लिए अनिश्चितता पैदा होती और होटल वालों को नुकसान होता है। एसोसिएशन ने सरकार को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। जिसमे मांग है की सभी खाद्य पदार्थ और पेय सेवाओं के लिए एक समान जीएसटी दरों को लागू किया जाए, भले उनका संचालन होटल के भीतर हो या बाहर। एचआरएडब्ल्यूआई ने बड़ी होटल श्रृंखलाओं पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया है। इन होटलों को जीएसटी दरों में असमानता के कारण ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा इस असमानता का असर बैंक्वेट्स पर भी होता है, जिससे मेहमानों के लिए भ्रम और असुविधा होती है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और आतिथ्य उद्योग की स्थिरता के लिए सभी खाद्य और पेय सेवाओं पर जीएसटी दरों में एकरूपता होनी चाहिए।